


# नगर निगम, इलाहाबाद

## आवश्यक सूचना

- इलाहाबाद नगर के समस्त सम्मानित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य तथा ओ0ए0 संख्या-18/2013 विक्रान्त कुमार तोगड़ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशानुसार सड़क, सड़क की पटरी एवं सड़क की पटरी से सटे हुए खुले भाग पर मलबा, Construction and Demolition Waste न डाला जाए अथवा न डम्प किया जाए। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उक्त आदेश में यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, प्रतिष्ठान इत्यादि द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश का उल्लंघन किया जाता है, ऐसी स्थिति में उसके ऊपर रूपया 20 हजार से लेकर एक लाख रूपये तक अर्धदण्ड के रूप में आरोपित करने का प्राविधान है। साथ ही उक्त के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान के विरुद्ध निगम द्वारा सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बंधित नागरिक का होगा।



मुख्य अभियंता



नगर आयुक्त

पत्रांक : जे. 1124/6-2-11/11 दिनांक : 29.07.2011

प्रकाशन नही :-

प्रतिलिपि :-

1. मा0 महापौर महोदय को अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को अवलोकनार्थ।
3. जन सम्पर्क अधिकारी को उक्त सूचना का प्रकाशन आगामी स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. आई0टी0 आफिसर को इस निर्देश के साथ कि सूचना नगर निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।



मुख्य अभियंता